

संदर्भ सं०

/यूपीसीडा/लीगल

दिनांक-

कार्यालय आदेश


कार्यालय आदेश सं० 4968-71/एसआईडीए/स्था० आउटसोर्सिंग दिनांक-25.01.2022
(छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में आउटसोर्सिंग से कार्मिकों को चयनित किये जाने हेतु सेवाप्रदाताओं
का चयन "जेम" पोर्टल के माध्यम से किये जाने हेतु गठित की गई समिति के अनुसार अधोहस्ताक्षरी
द्वारा श्री एस०एम०आर्या, सहायक विधि अधिकारी, विधि अनुभाग, मुख्यालय-कानपुर को नामित करते
हुए उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त से संबंधित समस्त बैठकों में अपना प्रतिभाग
सुनिश्चित करें।

संलग्नक : अधोहस्ताक्षर

संदर्भ संख्या 1119-1122
प्रतिलिपि - /एसआईडीसी

(राजेश पाराशर)
महाप्रबन्धक (विधि)
दिनांक 25.1.22.

1. वित्त नियंत्रक/अध्यक्ष, यूपीसीडा, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी, कार्मिक, यूपीसीडा, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी (कम्प्यूटर), कम्प्यूटर अनुभाग, मुख्यालय, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. निजी सचिव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी कैम्प/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी कैम्प, मुख्यालय कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
5. गार्ड फाइल।


(राजेश पाराशर)
महाप्रबन्धक (विधि)

संदर्भ सं०

/एसआईडीए/स्था०

दिनांक

कार्यालय आदेश

यूपीसीडा के संचालक मण्डल की दिनांक 22.06.2021 को सम्पन्न 38 वीं बोर्ड बैठक के कार्यबिन्दु संख्या 05 में प्राधिकरण में कार्य की आवश्यकतानुसार भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था के अनुसार सेवाओं को प्रदान किए जाने हेतु एजेण्डा में उल्लिखित पदों पर आउटसोर्सिंग से कार्मिकों के चयन हेतु सेवा प्रदाताओं के चयन के प्रस्ताव को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया है कि सेवा प्रदाताओं का चयन अधिकतम 01 वर्ष की अवधि हेतु किया जाएगा।

उपरोक्त के कम में कार्यालय आदेश संख्या 1720-26/एसआईडीए/स्था० दिनांक 13.07.2021 के द्वारा आउटसोर्सिंग से कार्मिकों को लिए जाने हेतु सेवाप्रदाताओं का चयन "जेम" पोर्टल के माध्यम से किए जाने हेतु समिति का गठन किया गया। भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस, जेम(GeM) पोर्टल की व्यवस्था के अनुसार एजेण्डा में उल्लिखित पदों पर आउटसोर्सिंग से कार्मिकों को लिए जाने हेतु सेवाप्रदाताओं का चयन "जेम" पोर्टल के माध्यम से किए जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन दिनांक 24.01.2022 के कम में निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है :-

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. वित्त नियंत्रक, | - | अध्यक्ष |
| 2. महाप्रबन्धक(विधि) द्वारा नामित अधिकारी | - | सदस्य |
| 3. प्रभारी (कार्मिक) | - | सदस्य |
| 4. प्रभारी (कम्प्यूटर) द्वारा नामित अधिकारी | - | सदस्य |

उपरोक्तानुसार गठित समिति से अपेक्षा की जाती है कि प्राधिकरण में समय-समय पर आवश्यकतानुसार निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार आउटसोर्सिंग से कार्मिकों को लिए जाने हेतु सेवाप्रदाताओं का चयन जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से, शासन के निर्देशों के कम में, सक्षम स्तर से अनुमोदन लेने के पश्चात सुनिश्चित किया जाएगा।

(नेहा जैन)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संदर्भ सं० 4968-7L /एसआईडीए/स्था० आउटसोर्सिंग दिनांक 25-01-2022
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. समिति के अध्यक्ष/सदस्यों को।
2. प्रभारी (कम्प्यूटर), कम्प्यूटर अनुभाग, मुख्यालय, कानपुर को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
3. निजी सचिव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी कैम्प/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी कैम्प, मुख्यालय, कानपुर।
4. व्यक्तिगत पत्रावली/गार्ड फाइल।

(नेहा जैन)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी